

क्र. सं. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर आज उत्पत्ति पत्र दि. नं - 126/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
---------------	--	---

20/7/2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-
हांसपुर में पेश हुई। वकील प्रार्थी मय प्रार्थी पक्षकार उपस्थित।
उपस्थित प्रार्थी की पहचान प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा
एड0 ने की। वकील प्रार्थी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर एक
प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं
चलाकर इसी स्तर पर विज्ञा कर खारिज किये जाने का निवेदन
किया। वकील प्रार्थी पक्षकार के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र विज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा को विज्ञा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी
जाती है। पत्रावली फौसलं शुमार होकर बांद तकमील दाखिल
दफतर हो।

[Signature]
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13-9-21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-
हांसपुर में पेश हुई। वकील प्रार्थी मय प्रार्थी पक्षकार उपस्थित।
उपस्थित प्रार्थी की पहचान प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा
एड0 ने की। वकील प्रार्थी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर एक
प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं
चलाकर इसी स्तर पर विज्ञा कर खारिज किये जाने का निवेदन
किया। वकील प्रार्थी पक्षकार के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र विज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा को विज्ञा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी
जाती है। पत्रावली फौसलं शुमार होकर बांद तकमील दाखिल
दफतर हो।

[Signature]
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

26.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-
हांसपुर में पेश हुई। वकील प्रार्थी मय प्रार्थी पक्षकार उपस्थित।
उपस्थित प्रार्थी की पहचान प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा
एड0 ने की। वकील प्रार्थी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर एक
प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं
चलाकर इसी स्तर पर विज्ञा कर खारिज किये जाने का निवेदन
किया। वकील प्रार्थी पक्षकार के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र विज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा को विज्ञा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी
जाती है। पत्रावली फौसलं शुमार होकर बांद तकमील दाखिल
दफतर हो।

[Signature]
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प:- हांसपुर

[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

